

श्री महेन्द्र कुमार, सचिव, खेल विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक—
31.12.2025 (बुधवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में
अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना निर्माण हेतु भू-अर्जन से
संबंधित बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति

1. श्री आरिफ अहसन, निदेशक, खेल विभाग, पटना।
2. श्री राजन कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, खेल विभाग।
3. श्री मृत्युंजय कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना।
4. श्री अजय कुमार, अवर सचिव, खेल विभाग।
5. श्री दिग्गज कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।
6. सुश्री हेमा कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, खेल विभाग।

कार्यवाही

सर्वप्रथम सचिव महोदय द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों का स्वागत किया गया तदोपरांत बैठक की कार्यवाही शुरू किया गया।

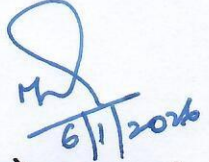
1. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा सूचित किया गया कि पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना निर्माण हेतु पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम—डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु पूर्व में 44 करोड़ रुपये भुगतान हेतु निर्गत आदेश में से 32,33,97,000.00 समाहर्ता, पटना को प्राप्त हुआ है एवं 100 करोड़ रुपये समाहर्ता, पटना को भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा भुगतान किया जाना है। इस राशि के भुगतान हेतु **CFMS Pay ID** एवं बैंक खाता उपलब्ध करा दिया गया है।

2. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना द्वारा यह भी सूचित किया गया कि पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम—डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु **SIA** (सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन) कार्य पूर्ण कर एक माह के अन्दर प्रतिवेदन निदेशक, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा।





3. सचिव खेल विभाग द्वारा उक्त कार्य की महत्ता को देखते हुए भूमि अधिग्रहण का कार्य शीघ्र शुरू कराने एवं हितबद्ध रैयतों को भुगतान शुरू कराने का निदेश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना को दिया गया है। विस्तृत प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक एक माह बाद अर्थात् दिनांक— **28.01.2026** को **पूर्वाह्न 10:30 बजे** उपस्थित होने निदेश दिया गया।


(महेन्द्र कुमार)

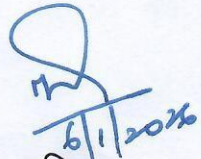
सचिव।

ज्ञापांक—...79.....

पटना, दिनांक 07...1./2026

प्रतिलिपि:— निदेशक, खेल विभाग/ संयुक्त सचिव, खेल विभाग/विशेष कार्य पदाधिकारी, खेल विभाग/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना/ अवर सचिव (संबंधित प्रशाखा— 04)/सहायक निदेशक (क्रीड़ा/युवा/योजना)/ संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सचिव।